UPSI120000192002

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,बिसवाँ–सीतापुर।
पीठासीन अधिकारी–(कुंवर दिव्यदर्शी)(उ०प्र० न्यायिक सेवा)UP3421
फौजदारी वाद संख्या–268/2002

अप० सं० संख्या–119A/2002
धारा– 323, 324, 504, 506 भा०दं०सं०
थाना बिसवाँ, जनपद–सीतापुर।

उत्तर प्रदेश राज्य **.....अभियोजन।**

बनाम

01. कामेश्वर दयाल पुत्र कल्लूराम गुप्ता (मृतक दौरान मुकदमा)
02. राम मोहन पुत्र कामेश्वर दयाल (मृतक दौरान मुकदमा)
03. राम सागर पुत्र कामेश्वर दयाल, निवासी बोहरा, थाना बिसवाँ, जनपद सीतापुर।
04. चुन्नीलाल पुत्र कामेश्वर दयाल, (मृतक दौरान मुकदमा) **.....अभियुक्तगण।**

निर्णय

1. थाना बिसवाँ, जनपद सीतापुर पर पंजीकृत अप० सं० संख्या–119A/2002, अन्तर्गत धारा 323, 324, 504, 506 भा०दं०सं० के प्रकरण में अभियुक्तगण कामेश्वर दयाल, राम मोहन, राम सागर व चुन्नी लाल के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर यह वाद संस्थित हुआ।

2. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त राम सागर की ओर से इस आशय का संस्वीकृति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वह स्वेच्छा पूर्वक बिना किसी जोर दबाव के जुर्म को स्वीकार कर रहा हैं। अतः उसका प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद की कार्यवाही समाप्त करने की कृपा की जाये।

3. न्यायालय द्वारा अभियुक्त का बयान संस्वीकृति लिपिबद्ध किया गया।

4. न्यायालय के मत में अभियुक्त द्वारा संस्वीकृति प्रार्थना पत्र स्वेच्छया प्रस्तुत किया गया है, इसलिए अभियुक्तगण का संस्वीकृति प्रार्थना पत्र धारा 252 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रकरण में आरोपित अभियुक्त राम सागर को स्वेच्छया संस्वीकृति के आधार पर धारा 252 दं०प्र०सं० में दोषसिद्ध किया जाता है। दोषसिद्ध अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनाँक 12.03.2026

(कुंवर दिव्यदर्शी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बिसवाँ–सीतापुर।

लंच बादः–

5. लंचबाद पत्रावली पुनः पेश हुई। अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त के प्रति उदार दृष्टिकोण रखते हुए कम से कम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

6. दण्ड के प्रश्न पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र स्वचेछा से प्रस्तुत किया गया है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उसे अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

दोषसिद्ध अभियुक्त राम सागर को अप० सं० संख्या–119A/2002 अन्तर्गत धारा

323, 324, 504, 506 भा०दं०सं० थाना बिसवाँ, सीतापुर के प्रकरण में दोषसिद्ध पाया जाता है, एवं अभियुक्त को धारा 323, भा०दं०सं० के अन्तर्गत 100/– रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा करने से चूक होने पर अभियुक्त 10 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतेगा। अभियुक्त को धारा 504, भा०दं०सं० के अन्तर्गत 200/– रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा करने से चूक होने पर अभियुक्त 10 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतेगा। अभियुक्त को धारा 324, भा०दं०सं० के अन्तर्गत 100/– रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा करने से चूक होने पर अभियुक्त 10 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतेगा। अभियुक्त को धारा 506, भा०दं०सं० के अन्तर्गत 100/– रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा करने से चूक होने पर अभियुक्त 10 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतेगा।पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के पश्चात नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित की जाये।

दिनाँक 12.03.2026

(कुंवर दिव्यदर्शी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बिसवाँ–सीतापुर।

आज दिनाँक 12.03.2026 को उपरोक्त निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायाल में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनाँक 12.03.2026

(कुंवर दिव्यदर्शी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बिसवाँ–सीतापुर।

दुर्गा शंकर (स्टेनो)/–